आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 1	आदेश पर की गई कार्यवाही

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0ए0 वाद सं0 17/2017–18

मोहन ठाकुर वगै0 –बनाम– गौर भंडारी वगै0

अपीलार्थीः– 1. मोहन ठाकुर, पिता–स्व0 सतीश ठाकुर,
2. बिक्रम ठाकुर, पिता–स्व0 कालीचरण ठाकुर,
सा0–कोटालपोखर, थाना–कोटालपोखर,
अनुमडल–राजमहल, जिला–साहेबगंज।

उत्तरवादीः– 1. गौर भंडारी, 2. मदन भंडारी, 3. निताई भंडारी,
4. हरिपदो भंडारी, पिता–स्व0 चमरू भंडारी,
सा0–कोटालपोखर, थाना–कोटालपोख,
अनुमंडल–राजमहल, जिला–साहेबगंज।

–: आदेश :–

यह अपील विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के द्वारा आर0ई0 वाद सं0–01/2014–15 मोहन ठाकुर वगै0 –बनाम– गौर भंडारी वगै0 में दिनांक 12.07.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा दायर की गयी।

अपील अभ्यावेदन में अंकित है कि बरहरवा अंचल अन्तर्गत मौजा कोटालपोखर थाना नं0–232, 233 अनावादी खाता जमाबंदी नं0–96, दाग नं0–296, रकवा 02 बीघा 14 कट्ठा 09 धूर भूमि गत सर्वे (गेंजर्स सेटलमेंट) में वर्ष 1922 से 1927 तक नाला दर्ज है। उक्त वर्णित नाला की भूमि को उत्तरवादीगण गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण कर घर बना लिये है, जिसे अतिक्रमण मुक्त करवाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के समक्ष अभ्यावेदन समर्पित की गयी। उक्त आधार पर निम्न न्यायालय में आर0ई0 वाद सं0 01/2014–15 प्रारम्भ हुआ तथा अंचल अधिकारी, बरहरवा द्वारा पत्रांक 105/रा0, दिनांक 23.01.2012 से प्राप्त प्रतिवेदन में उक्त वर्णित भूमि को नाला दर्शाया गया हैं। जिसपर विपक्षीगण (इस वाद के उत्तरवादी) का घर बना हुआ है। राजस्व पंजी में मौजा कोटालपोखर के फिल्ड बुझारत में आवेदित दाग नं0–296 उपलब्ध नहीं है तथा उक्त मौजा का खतियान उपलब्ध नहीं है। नक्सा में दाग नं0–296 नाला के रूप में दर्शाया गया है। उक्त भूमि का स्परूप परिवर्तन हो चुका है। अर्थात समतल बन गया है, जिसे विपक्षीगण के पिता–चमरू नापित के नाम से मौजा प्रधान द्वारा दाग नं0–296 रकवा 02 बीघा 14 कट्ठा 09 धूर भूमि बन्दोवस्त किया गया है, जो अवैध है। उक्त भूमि से उच्छेद की कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा की गयी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा–05 के तहत अभ्यावेदन समर्पित करते हुए अंकित किया गया कि दिनांक 12.02.2017 को पारित आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 17.07.2017 को हुई। आदेश की सत्यप्रतिलिपि दिनांक 20.07.2017 को प्राप्त हुआ। इसलिए विलम्ब से अपील दायर किया जा रहा है। इस हेतु अपील स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त करने का अनुरोध किया गया।

उक्त आधार पर अपील स्वीकृत करते हुए न्यायालय ज्ञापांक 117/डी0बी0, दिनांक 02.08.2017 द्वारा निम्न न्यायालय के अतिक्रमण वाद सं0 01/2014–15 मोहन ठाकुर वगै0 –बनाम– गौर भंडारी वगै0 निष्पादित तिथि 12.02.2017 से संबंधित अभिलेख की माँग की गयी। उक्त अनुपालन में विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के द्वारा संबंधित मूल अभिलेख कार्यालय पत्रांक 404/रा0, दिनांक 08.09.2017 को प्राप्त हुआ।

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाही
	उत्तरवादीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल लिखित बयान में उल्लेख है कि अपीलार्थीगण आर0ई0 वाद सं0–01/2014–15 में दिनांक 12.02.2017 को अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर करते हुए आदेश को रद्ध करने एवं मौजा कोटालपोखर नं0–232/233 अन्तर्गत दाग नं0–296 जो Recorded as Nala in last Gantzer's Settlment operation की भूमि से उत्तरवादीगण को उच्छेद करने हेतु अपील दायर किया गया है। उक्त भूमि के संबंध में प्रतर्क दिया गया है कि वर्णित दाग की भूमि नाला की भूमि है, जो प्रधान द्वारा वर्ष 1954 में चमरू भंडारी के नाम से बन्दोवस्त किया गया है। चमरू भंडारी के बाद उनका पुत्र उनका उत्तरवादीगण शांतिपूर्ण भोग दखल में गृह निर्माण करके निवास कर रहे है। उसी भूमि पर एक इंदिरा आवास निर्मित है, जिसपर उत्तरवादी दखल कब्जा में रह कर सरकार को अद्यतन मालगुजारी अदा करते आ रहे है। इसलिए अपीलार्थी का अपील कानुनन चलने योग्य नहीं है। क्योंकि प्रश्नगत भूमि का प्रकृति परिवर्तन हो गया। इस संबंध में दिनांक 03.09.2015 को अंचल अधिकारी, बरहरवा द्वारा प्रतिवेदित है कि नाला भरकर समतल हो गया। नाला नहीं रहा। इसलिए प्रकृति परिवर्तित भूमि तत्कालीन प्रधान केशव रजवार के द्वारा उत्तरवादीगण के पिता चमरू नापित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग भूमिहीन के नाम जो 1954 में बन्दोवस्त किया गया है, वह कानुनन वैध है और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध नहीं है, जिसपर उत्तरवादीगण भोग दखल में निवास कर रहे है। 2008 (2) JLJR पेज नं0–574 के अनुसार बन्दोवस्त रद्ध नहीं किया जा सकता है। क्योंकि वर्णित भूमि पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा इंदिरा आवास प्राप्त है। उक्त भूमि पर उत्तरवादीगण अपने पिता के समय से लगभग 60 वर्षों से वैध दखल भोग में निवास कर रहे है और सरकार को अद्यतन लगान अदा करते आ रहे है। इसलिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा–13, 20 और 42 के प्रावधान के अन्तर्गत वैध है। अतएव उक्त भूमि से उत्तरवादीगण को उच्छेद नहीं किया जा सकता है। सरकार भूमिहीन और गृहविहिन व्यक्ति को बसाती है। उच्छेद नहीं करती है। अतः उत्तरवादीगण प्रश्नगत भूमि पर अवैध दखलकार नहीं है। उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतर्क दिया गया कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर और वर्ष 1988 BBCJ पेज नं0–379 के प्रावधान अनुसार उत्तरवादीगण को प्रश्नगत भूमि उच्छेद करने का कोई प्रश्न नहीं है। क्योंकि ऐसे भूमि का बन्दोवस्त हो जाने के पाँच वर्षों के अन्दर बन्दोवस्त रद्ध करने हेतु आपत्ति किया जा सकता है। लेकिन उत्तरवादीगण 60 वर्षों से अपने पूर्वजकाल से उक्त प्रकृति परिवर्तित बन्दोवस्त पर भोग दखल में रहकर निवास कर रहे है। उक्त तथ्यों के आधार पर बन्दोवस्ती रद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए अपील अस्वीकृत करते हुए दस्तावेजों के आधार पर उचित निर्णय पारित करने हेतु उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा प्राप्त अभिलेख आर0ई0 वाद सं0 01/2014–15 का विस्तार से अवलोकनोपरान्त ज्ञात होता है कि निम्न न्यायालय में आवेदकगण द्वारा अपने दावा के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी इस न्यायालय में उत्तरवादीगण के द्वारा अपने दावा के समर्थन में प्रश्नगत मौजा कोटालपोखर जमाबंदी नं0–96 रकवा 02 बीघा 14 कट्ठा 09 धूर भूमि वर्ष 1954 में ग्राम प्रधान द्वारा अपीलार्थीगण के पिता चमरू नापित के नाम से निर्गत लगान रसीद खतियान की छाया प्रति सूचना आवेदन की छाया प्रति सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी द्वारा निर्गत लगान रसीद की छाया प्रति दाखिल करते हुए प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा प्रस्तुत किया गया। अंचल अधिकारी, बरहरवा द्वारा निम्न न्यायालय में समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से उक्त तथ्य की पुष्टि होने के साथ–साथ प्रश्नगत भूमि नक्सा ममें नाला है, जो वर्तमान में भरकर समतल हो गया अर्थात स्वरूप परिवर्तन हो गया। यह भी प्रतिवेदित है उक्त भूमि वर्ष 1954 में उत्तरवादीगण के पिता चमरू नापित पिता मुकेन्द नापित से तत्कालीन	

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 3	आदेश पर की गई कार्यवाही

प्रधान द्वारा बन्दोवस्त किया गया। उक्त भूमि पर पट्टाधारी का पुर्वजगण आपसी बँटवारा करके गृह निर्माण कर लिया है एवं सपरिवार निवास कर रहे है। वर्णित भूमि का प्रधानी लगान रसीद 2014–15 तक निर्गत है। दाग नं0–296 की अंश रकवा पर फसल लगाया जाता है। आम और कटहल का पेंड़ है। उत्तरवादी हरिपदो भंडारी एवं निताई भंडारी को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरहरवा के द्वारा इंदिरा आवास प्राप्त है। कार्यवाही भूमि रैयती नहीं है।

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत भूमि से उत्तरवादी को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत उच्छेद नहीं किया जा सकता है। इसी आदेश के साथ वाद खारिज किया गया।

अतः अवलोकनोपरान्त एवं सुनने के पश्चात विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील अस्वीकृत किया जाता है। इसी आशय के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पारित आदेश उभय पक्षों को दिखाए। आदेश के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल को मूल अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त
साहेबगंज।

उपायुक्त
साहेबगंज।

Digitally signed by RAMNIWAS YADAV
Date: 2022.11.23 13:30:36 +05:30
Location: 192.168.29.209